न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री राजेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 85 / 2023
जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023 / 134

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
लालाराम पुत्र रूघाराम के वारिसान 1.शंकर पुत्र लालाराम जाति वागरी निवासी–रैवाडा मैया हाल–कोटा (राजस्थान) 2.राजू पुत्र लालाराम जाति वागरी निवासी –रैवाडा मैया हाल– आगरा (उतरप्रदेश) 3.तीजो पुत्री लालाराम पत्नी नारायणराम जाति वागरी निवासी अहमदाबाद(गुजरात) 4.शारदा पुत्री लालाराम पत्नी रमेश जाति वागरी निवासी आगरा (उतरप्रदेश)		1.चुन्नीलाल पुत्र किशनाराम के कायम मुकाम 1./1.नारायणराम पुत्र चुन्नीलाल के वारिसान 1/1/1. मोहरोदेवी पत्नी नारायणराम 1/1/2. जितेन्द्र पुत्र नारायणराम 1/1/3. जेठी पुत्री नारायणराम 1/1/4. महेश पुत्र नारायणराम 1/1/5. ज्योति पुत्री नारायणराम प्रतिवादी संख्या 1/1/4 व 1/1/5 नाबालिग जरीये कुदरतीवली माता मोहरोदेवी पत्नी नारायण जाति कुम्हार साकिन रैवाडा मैया तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 1/2. तेजाराम पुत्र चुन्नीलाल 1/3. पप्पाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति कुम्हार साकिन रेवाडा मैया तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1.श्री उम्मेदसिंह चपावत अधिवक्ता,प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता, विप्रार्थी संख्या 1/1/1 व 1/1/5 व प्रतिवादी संख्या 1/2 की ओर से उपस्थित।

3. विप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:46:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक– 19.01.2024

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

1. संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण के पिता लालाराम की ओर से सरहद मौजा रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 102 नवसृजित खसरा संख्या 102/6 रकबा 25 बीधा भूमि में प्रतिवादी के विरूद्व खातेदारी अधिकारों की धोषणा,कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद श्री न्यायालय मे पेश किया गया था। जो प्रकरण विचाराधीन चला रहा था,निर्धारित पेशी तारीख को पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता न्यायालय हाजा में उपस्थित नही होने के कारण हस्तगत वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक हकूको निहित होने के कारण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण की ओर से हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 07.9.2022 को अपास्त करवा कर वाद पुनः बरामद करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी की ओर से प्रतिवादी/विप्रार्थी की तरफ से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादीगण के पिता लालाराम की ओर से सरहद मौजा रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 102 नवसृजित खसरा संख्या 102/6 रकबा 25 बीधा भूमि में प्रतिवादी के विरूद्व खातेदारी अधिकारों की धोषणा,कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद श्री न्यायालय में पेश किया गया था। मूलवाद प्रकरण वारिसान की तलबी पर विचाराधीन चला रहा था,नियत पेशी तारीख को पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता श्री रूधाराम कड़वासरा अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण श्री न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में आदेश दिनांक 07.9.2022 के द्वारा खारिज किया गया। जबकि वादीगण के वादग्रस्त भूमि में हक हकूक निहित है और वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है,तो वादीगण के साथ अन्याय होगा,जिसकी भविष्य में पूर्ति नही की जा सकती है। वादीगण को वाद खारिज होने का पूर्व अधिवक्ता द्वारा नही बताया गया। वकील वादीगण ने अपनी बहस को जारी रखतें हुए निवेदन किया कि पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र पेश किया,जिसमें उनकी ओर से नियत पेशी तारीख पर उपस्थित नही होने के कारण प्रकरण खारिज हुआ। इस कारण वकील की गलती का दोष वादीगण वहन नहीं कर सकतें है। वादीगण का वाद प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज किया ग[illegible] प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। इस कारण न्यायहित में वादीगण को सुन[illegible] प्रदान करते हुए आदेश दिनांक 07.9.2022 को अपास्त किया [illegible] के आदेश फरमावें।

4. इसके विपरीत वकील प्रतिवादी/विप्रार्थी की बहस है,कि वादीगण/प्राथीगण की [illegible] से हस्तगत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योंकि मूलवाद लम्बे समय से प्रतिवादी की तलबी में विचाराधीन चल रहा था और वादीगण वकील को

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:46:25 IST
Reason: SelfAttested

पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी प्रतिवादी की तलबी नहीं करवाई गई और नियत पेशी तारीख 07.9.2022 को वकील मय वादीगण मे से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया गया जो कि विधि सम्मत आदेश पारित हुआ था तथा खारिज आदेश के विरूद्ध अन्दर म्याद 30 दिन या 90 दिनो के भीतर आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और निवेदन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई सारभूत ठोस आधार अंकन नहीं किया है जिससे साबित होता है कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक हकूक निहित हो तथा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन मे आधारहीन तथ्यो अंकित किए गए है। जबकि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र म्याद बाहर पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। प्रार्थीगण/वादीगण को वाद खारिज का पूर्ण ज्ञान था लेकिन जानबूझकर प्रतिवादी/विपक्षी को परेशान करने की नियत से म्याद बाहर आवेदन पेश किया गया है जो सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण मय खर्चो खारिज फरमाया जावे।

5. हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिसमे पाया कि मूलवाद संख्या 04/2022 अनवान लालाराम बनाम पुन्नीलाल वगैरा कायम मुकाम की तलबी पर विचाराधीन चल रहा था और निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 07.9.2022 को वकील वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी मे खारिज किया गया जो वादपत्र की प्रमाणित आदेशिका अवलोकन से स्पष्ट है। चूंकि मूलवाद वकील वादीगण के अनुपस्थित होने के कारण खारिज हुआ था और वाद प्रारम्भिक स्टेज कायम मुकाम की तलबी पर विचाराधीन चल रहा था। न्यायालय का अभिमत है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए न कि तकनीकी आधार पर। पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपने हक हकूको के लिए पैरवी कर सके। हस्तगत प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज तलबी पर खारिज हुआ है और वादी पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है अगर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए जाते है तो न्यायसंगत नहीं होगा। मूलवाद मे मुकर्रर अधिवक्ता श्री रूगाराम कडवासरा द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया, शपथ पत्र मे अंकित तथ्यो से न्यायालय संतुष्ट है कि मूलवाद उनकी ओर से पैरोकारी नहीं किए जाने के कारण खारिज हुआ था जिसमे वादीगण को दोष नहीं ठहराया जा सकता है। वादीगण को मूलवाद मे अपने हक हकूको को साबित करने के लिए एक सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। ताकि [illegible] पाधि से वंचित नहीं रहे। जहां तक प्रार्थीगण/वादीगण की ओर [illegible] का बिन्दु है यह न्यायालय प्रार्थना पत्र धारा 05 [illegible] तथ्यो को मद्देनजर रखते हुए अन्दर म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित सम[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:46:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सफल रहें है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन अन्दर म्याद स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण अन्दर म्याद स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 04/2022 अनवान लालाराम बनाम चुन्नीलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 07.9.2022 को अपास्त किया जाकर मूलवाद को पुनःबरामद किया जाता है।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.01.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:46:25 IST
Reason: SelfAttested